


फर्द अहकाम
अज अदालत-न्यायालय जिला कलक्टर-मुकाम-भरतपुर
नानक सिंह एड० बनाम लो.सू.अधि. जिला रसद अधिकारी भरतपुर
किरम मुकदमा अपील RTI नम्बर 55 सन् 2024
29/11/24.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनियुशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
2.12.2024	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्त नानक सिंह एड० निवासी 342, स्कीम नं० 8, गांधीनगर, अलवर की अपील लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी, भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 6 के तहत मूल प्रार्थना पत्रों (आरटीआई मूल आवेदन पत्र) की फोटो प्रति संलग्न नहीं की गई है। सूचना का अधिकार नियम 6 के तहत समस्त दस्तावेज संलग्न कर भिजवाये जाने आवश्यक है। अतः अपीलार्थी को प्राप्त मूल अपील को लौटाते हुए दस्तावेजात संलग्न कर पुनः अपील प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर भरतपुर</p>	<p>880 16/12/24 अपील वापिस लौटाया</p>